

## व्हिसिल ब्लोवर संबंधी दिशा-निर्देश

### (लोकहित प्रकटीकरण एवं मुखविर सुरक्षा (पीआईडीपीआई) पर भारत सरकार का संकल्प)

भारत सरकार ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को मनोनीत एजेंसी के रूप में तथा भारत सरकार के मंत्रालयों/ विभागों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों(सीवीओं) को मनोनीत प्राधिकारी के रूप में किसी मंत्रालय /विभागों के किसी कर्मचारी पर या केन्द्रीय अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अंतर्गत स्थापित केन्द्र सरकार के स्वामित्व वाली अथवा इसके द्वारा नियंत्रित सरकारी कंपनियों, सोसाइटियों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों के किसी कर्मचारी पर भ्रष्टाचार के किसी आरोप अथवा पद के दुरुपयोग के संबंध में लिखित शिकायतें प्राप्त करने अथवा प्रकटीकरण संबंधी दस्तावेज प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किया है।

सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि इस संकल्प के अंतर्गत की जा रही शिकायत में निम्नलिखित बिन्दुओं का अनुपालन किया जाना चाहिए.

1. शिकायत बंद/मुहरबंद लिफाफे में सचिव, केन्द्रीय सतर्कता आयोग अथवा बैंक के मुख्य सतर्कता अधिकारी को संबंधित होनी चाहिए.
2. लिफाफे पर "लोकहित प्रकटीकरण के अंतर्गत शिकायत" अंकित होनी चाहिए. यदि लिफाफे पर लिखा नहीं है अथवा बंद/मुहरबंद नहीं है तो नामित एजेंसी (केन्द्रीय सतर्कता आयोग) नामित प्राधिकारी ( भारत सरकार के मंत्रालयों /विभागों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों) के लिए उपर्युक्त संकल्प के तहत शिकायत को सुरक्षित रखना संभव नहीं है. शिकायत को सुरक्षित रखा जाएगा तथा शिकायत का निपटान आयोग की सामान्य शिकायत के अनुरूप किया जाएगा.
3. शिकायतकर्ता को अपना नाम एवं पता शिकायत के प्रारंभ में अथवा अंत में या संलग्न पत्र में देना चाहिए.
4. नामित एजेंसी अथवा नामित प्राधिकारी शिकायतकर्ता को पत्र लिखकर पता करेगा कि क्या वह वही व्यक्ति है जिसने शिकायत की है या नहीं.
5. प्रकटीकरण अथवा शिकायत में जहाँ तक संभव हो, पूरा विवरण होना चाहिए और दस्तावेजों तथा अन्य सामग्री के साथ समर्थित होना चाहिए.
6. शिकायत का मसौदा ध्यानपूर्वक तैयार किया जाना चाहिए जिससे उसके/उसकी पहचान का कोई सुराग न मिले. फिर भी शिकायत विनिर्दिष्ट एवं सत्यापन योग्य होनी चाहिए.

7. व्यक्ति की पहचान सुरक्षित रखने के लिए, पावती नहीं जारी की जाएगी और व्हिसिल ब्लोअर को सलाह दी जाती है कि वह अपने निजी हित में उसी मामले पर दोबारा पत्राचार न करें.
8. नामित एजेंसी अथवा नामित प्राधिकारी को यदि शिकायतकर्ता से अधिक सूचना अथवा विवरण की आवश्यकता होगी तो संपर्क करेगा.
9. यदि शिकायत बेनामी/छद्म नाम से है तो नामित एजेंसी अथवा नामित प्राधिकारी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करेगा.
10. शिकायतकर्ता की पहचान तब तक गोपनीय रखी जाएगी जब तक शिकायतकर्ता स्वयं से शिकायत का विवरण सार्वजनिक अथवा किसी कार्यालय या प्राधिकारी के समक्ष प्रकट नहीं करता है.
11. यदि किसी व्यक्ति को ऐसा प्रतीत होता है कि उसने शिकायत अथवा प्रकटीकरण किया इसलिए उसे परेशान किया जा रहा है, तो इस मामले के निवारण के लिए नामित एजेंसी /नामित प्राधिकारी के समक्ष शिकायत कर सकता है, जो सोच समझकर उस पर कार्रवाई करेगा.
12. यदि नामित एजेंसी/नामित प्राधिकारी को शिकायतकर्ता की आवेदन अथवा एकत्रित सूचना के आधार पर लगता है कि शिकायतकर्ता या गवाह को सुरक्षा की आवश्यकता है तो नामित एजेंसी/नामित प्राधिकारी समुचित कार्रवाई प्रारंभ करेगा.
13. यदि नामित एजेंसी/नामित प्राधिकारी यह पाता है कि इस संकल्प के अंतर्गत शिकायत अभिप्रेरित अथवा दुर्भावनावश की गई है तो शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.

उपर्युक्त के संबंध में सीवीसी द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना की एक प्रति वेबसाइट <http://www.cvc.nic.in> पर उपलब्ध है.

लोकहित प्रकटीकरण एवं मुखविर सुरक्षा (पीआईडीपीआई) के तहत शिकायत को सीधे ही सीवीसी, नई दिल्ली को भेजा जाना चाहिए, क्योंकि बैंक इसके निपटान के लिए प्राधिकृत नहीं है.